भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 243

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए एमडीओ

243. श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्रीमती भारती पारधीः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अंतर्गत प्रमुख कोयला खदान परियोजनाओं के लिए खनन डेवलपर्स सह ऑपरेटरों (एमडीओ) को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक चिन्हित की गई परियोजनाओं सहित कुल आवंटित क्षमता का राज्य-वार, विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमडीओ पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने तथा कोयला आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पारदर्शी वैश्विक खुली निविदाओं के माध्यम से खान विकासकर्ता सह प्रचालकों (एमडीओ) को नियुक्त किया जाता है।

एमडीओ को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कोयला उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना और कोयला खानों से प्रचालन को सुव्यवस्थित करना है। एमडीओ प्रौद्योगिकी समावेश, आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रचालन और उत्पादन में वृद्धि भी करते हैं। एमडीओ पूरी खनन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें कोयले के उत्खनन, निष्कर्षण से लेकर वितरण तथा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आवश्यक अवसंरचना विकास करना शामिल है।

(ग) : सीआईएल ने खान विकासकर्ता-सह-प्रचालकों (एमडीओ) द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए लगभग 253 एमटीवाई की क्षमता वाली 28 परियोजनाओं को चिन्हित किया है। इनमें से 14 परियोजनाएं एमडीओ को सौंपी गई हैं, जिसमें से छह (06) प्रचालनरत हैं। सौंपी गई एमडीओ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**सहायक कंपनी**	**राज्य**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**टिप्पणियां**
1	केतकी यूजी	एसईसीएल	छत्तीसगढ़	0.87	प्रचालनरत
2	हुरा-सी ओसीपी	ईसीएल	झारखंड	3.00	
3	सियारमल ओसीपी	एमसीएल	ओडिशा	50.00	
4	इटापारा ओसीपी	ईसीएल	पश्चिम बंगाल	3.50	
5	तिलबोनी यूजी	ईसीएल	पश्चिम बंगाल	1.86	
6	समामेलित एनटीएसटी ओसीपी	बीसीसीएल	झारखंड	8.50	
7	पारसिया-बेलबेद यूजी	ईसीएल	पश्चिम बंगाल	2.07	सौंपी गई
8	केबीपी ओसीपी	सीसीएल	झारखंड	5.00	
9	चंद्रगुप्त ओसीपी	सीसीएल	झारखंड	15.00	
10	पिपरवार फेज-I यूजी	सीसीएल	झारखंड	0.87	
11	पेल्मा ओसीपी	एसईसीएल	छत्तीसगढ़	15.00	
12	सुभद्रा ओसीपी	एमसीएल	ओडिशा	25.00	
13	बलभद्र ओसीपी	एमसीएल	ओडिशा	10.00	
14	संघमित्रा ओसीपी	सीसीएल	झारखंड	20.00	

मध्य प्रदेश राज्य में कोई एमडीओ परियोजना नहीं सौंपी गई है।

(घ) और (ड.) : जी हां। एमडीओ, संविदा के शर्तों और निबंधनों के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(च) : पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं

(i) नई खान खोलने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधनों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन करते हुए खानों का प्रचालन किया जाता है जिससे पर्यावरणीय सतत सुनिश्चित होती है।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुपालन में वन भूमि से संबंधित परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व वानिकी मंजूरी भी प्राप्त की जाती है।

(iii) विस्तार परियोजनाओं (उत्पादन क्षमता और/अथवा भूमि क्षेत्र में वृद्धि के लिए) के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधन के तहत एमओईएफएंडसीसी से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जाती है।

(iv) ईसी प्राप्त होने के बाद, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और प्रचालन के लिए सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त की जाती है।

(v) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, निर्धारित पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों के लिए पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की जाती है।

(vi) ईसी/सीटीई/सीटीओ शर्तों के अनुपालन में परिवेशी वायु गुणवत्ता, बहिस्राव गुणवत्ता, ध्वनि स्तर और भूजल (दोनों स्तरों और गुणवत्ता) के संबंध में नियमित पर्यावरणीय निगरानी की निगरानी की जाती है और रिपोर्टें एमओईएफएंडसीसी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को प्रस्तुत की जाती हैं।

(vii) संविधि के अनुपालन में, प्रत्येक प्रचालनरत खान के लिए पूर्व वित्त वर्ष का वार्षिक

पर्यावरणीय (लेखा परीक्षा) विवरण संबंधित एसपीसीबी को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है।

(viii) पर्यावरणीय मंजूरी और सहमति शर्तों के अनुपालन में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरण संधारणीयता उपाय किए जाते हैं जिनकी नियमित रूप से निगरानी और उन्हें सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

****